

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

न बनाम
 संख्या/ अन्तर्गत धारा.....

क्र. संख्या	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
25/8/22	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/8/22 को पेश हो।	
10/8/22	अधिवक्ता वादी व वादी स्वयं उपस्थित नहीं। अफ-2 फर 3 बार आवाज लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RPA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीत होकर नम्बर से फंम होकर वाचिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

